रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल
श्री राज कुमार चौहान, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/166/2019
दावा पंजीकरण तिथि : 21-06-2019
आदेशार्थ रखने की तिथि : 26-09-2023
आदेश तिथि : 16th October, 2023

1) श्री राजकुमार विदोल्या आत्मज स्व० श्री भगवतप्रसाद विदोल्या,
2) श्रीमती लक्ष्मीबाई विदोल्या पत्नी श्री राजकुमार विदोल्या,
निवासी—ग्राम सरैया, पोस्ट—पथेरा,
जिला—दमोह (म०प्र०) ....आवेदक

विरूद्ध

भारत संघ,
द्वारा—महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (जबलपुर) ....रेस्पांडेन्ट

दावा राशि : **Rs. 8,00,000/-**

प्रतिनिधित्व : श्री अरूण सिंह राणा, आवेदक—अधिवक्ता
श्री संदीप सविता, रेस्पांडेन्ट—अधिवक्ता

:: नि र्ण य ::

<u>श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल</u>

1. आवेदकों ने अपने अविवाहित मृतक पुत्र *मोहित विदोल्या आत्मज श्री राजकुमार विदोल्या* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन—*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *आठ लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन में कथन किया है कि *19* वर्षीय मृतक विद्यार्थी था तथा वह दिनांक *28-10-2018* को अपने बड़े पिताजी के घर सागर से अपने चाचा—नीरज विदोल्या के साथ साधारण दर्जे का टिकट संख्या—3312266 लेकर बीना—कटनी पैसेन्जर ट्रेन संख्या—51808 के आधार पर सागर से दमोह तक की यात्रा कर रहा था. यात्रा के मध्य पथरिया स्टेशन के पश्चात मृतक अपने चाचा को सूचित कर अपनी सीट से उठकर लघुशंका हेतु गया था. दमोह स्टेशन में गाड़ी पहुंचने पर सहयात्री द्वारा पूरी ट्रेन में उसे तलाशने पर जब वह नहीं मिला तो उसके मोबाईल फोन पर संपर्क करने पर उसका फोन बंद आया तो सहयात्री द्वारा मृतक के पिता एवं अन्य रिश्तेदारों को उसके न मिलने की सूचना देते हुए जीआरपी/दमोह में मौखिक रूप से मृतक के नहीं मिलने की

[redacted]

निरंतर......2/पर

सूचना दी थी. मृतक के पिता एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा मृतक को रातभर तलाशा गया. अगले दिन सुबह ही समय 08:55 बजे रेलवे के कर्मचारी चावीमेन–मुकेश मीना द्वारा स्टेशन मास्टर पथरिया दमोह को सूचना दी गई कि पथरिया असलाना के बीच किलोमीटर्स–1105/23–28 सोनार ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है. स्टेशन मास्टर द्वारा उक्त सूचना जीआरपी पथरिया जिला दमोह को दी गई. पुलिस से प्राप्त सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक श्री एम के पटेल ने जाकर मृतक की जेब तलाशने पर प्राप्त मोबाईल फोन से मृतक के पिता को उक्त घटना की सूचना जिसके आधार पर मृतक के पिता व अन्य रिश्तेदार घटनास्थल पर उपस्थित होकर मृतक की पहचान अपने पुत्र मोहित विदोल्या के रूप में की. तत्पश्चात पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर मृतक का शव उसके पिता को अंतिम संस्कार हेतु सौंप दिया गया. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन अविवाहित मृतक पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता–पिता के तौर पर आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के आवेदक हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट ने अपने जवाबदावे मे आवेदन में लिखित सभी बातों से इनकार करते हुए यही कहा है कि मुखबा सबूतों के आधार पर आवेदक घटना को अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन होना एवं तत्समय मृतक के बोनाफाइड पैसेन्जर होने को साबित करें. वही वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच रिपोर्ट में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर मृतक के विधिवत यात्री गाड़ी में बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करना एवं पथरिया–असलाना स्टेशनों के बीच किलोमीटर नं.–1105/26–28 के मध्य सोनार नदी ब्रिज के नीचे उसके चलती ट्रेन से गिरने की घटना को स्वीकार करते हुए अपना प्रतिरोध केवल इस बात पर सीमित रखा है कि मृतक ट्रेन के गेट के पास बैठकर/खड़े होकर यात्रा कर रहा था. अतः घटना एवं मुआवजा देने के अपने दायित्व से इनकार करते हुए प्रकरण को व्यय सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना रेस्पाडेन्ट द्वारा की गई.

3. पक्षकारो के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependents ?*

5) *Relief and cost ?*

निष्कर्ष.....3/पर

4. आवेदकों की ओर से मौखिक साक्षी के तौर पर क्रमांक–1 ने अपने शपथपत्र *(AW/1)* के साथ–साथ सहयात्री–नीरज उर्फ रमाकांत बिदोल्या आत्मज श्री भगवत प्रसाद बिदोल्या को भी शपथपत्र *(AW/2)* के साथ कोर्ट के सम्मुख उपस्थित कराया है एवं अपने दावे के समर्थन में लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-21* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पांडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर जांच करने वाले अधिकारी श्री सुनील कुमार मिश्रा आत्मज श्री रविशंकर मिश्रा, तत्कालीन एसआई/आरपीएफ, दमोह को शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया है, उपस्थित तीनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया

5. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

<u>इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2</u> :

6. दोनों इश्यूज एकदूसरे में अन्तरनिहित होने से इनपर एकसाथ विचार किया जा रहा है. *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के नियम–3* के अधीन वैधानिक तरीके से की गई रेस्पांडेन्ट की जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त में डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में घटना के समय मृतक के विवेचित यात्री गाड़ी (संख्या–51603 बीना–कटनी पैसेन्जर) से पथरिया–असलाना के बीच किलोमीटर नं.– 1105/26–28 के मध्य गिरना स्वीकार करते हुए उस समय उसके इस गाड़ी से सागर से दमोह तक की यात्रा बोनाफाइड पैसेन्जर के रूप में करने के प्रमाण के तौर पर उसके पास से पुलिस द्वारा जब्त यात्रा टिकट को भी स्वीकार किया है, किन्तु अपना विरोध उसने केवल इस बात तक सीमित रखा है कि सहयात्री–नीरज के के बयान के अनुसार गाड़ी में कोई भी भीड़ नहीं थी, इसलिए मृतक रेल नियमों का उल्लंघन करते हुए कोच के खुले दरवाजे पर खड़े होकर कुरकुरे खा रहा था, अतः घटना के लिए मृतक का उक्त कृत्य ही जिम्मेदार होने से अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया है. रेस्पांडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह तर्क पेश किया गया है कि मृतक का शव पथरिया–असलाना के मध्य डाउन ट्रैक के किनारे सोनार नदी के पुल के नीचे दूसरे दिन तक भी किसी के द्वारा नहीं देखा गया जबकि यह रूट व्यस्त है, अतः घटना संदेहास्पद है. जिस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतितर्क दिया गया है कि अक्टूबर माह का आखिरी समय होने एवं उस समय ठण्ड का मौसम होने और मृतक पुल के नीचे गिरा था इसलिए उसे घटना के समय किसी के द्वारा न देखकर सुबह श्री मुकेश मीना चायवाले के द्वारा देखा गया था जिस पर उसके द्वारा स्टेशन प्रबंधक/पथरिया को सूचना दी गई थी कि पथरिया–असलाना के मध्य किलोमीटर नम्बर–1105/26–28 में मध्य सोनार नदी के ब्रिज के नीचे एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. इसका उल्लेख सभी दस्तावेजी साक्ष्यों में भी पाया गया है.

[redacted]

निरंतर.......4/पर

7. हमने पत्रावलि का अवलोकन किया और पक्षों द्वारा अपने-अपने समर्थन में पेश की गई दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना. प्रकरण में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह तथ्य सामने आता है कि घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है एवं साक्षी-AW/2 जो कि साथ में यात्रा तो कर रहा था किन्तु इसने भी सशपथ यही कहा है कि मृतक उससे बाथरूम जाने का बोलकर गया था, जो लौटकर नहीं आया और आधे घंटे में ही गाड़ी दमोह पहुंच गई थी. इस साक्षी ने अपने प्रति-परीक्षण में यह भी कहा है कि मृतक गेट पर खड़े होकर कुरकुरे खा रहा था या नहीं, उसे नहीं पता क्योंकि यह साक्षी वहाँ नहीं था, अन्यथा यह उसे जरूरी रोकता. दूसरी ओर रेस्पांडेन्ट की ओर से भी प्रतिकूल ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि घटना के लिए मृतक की उस स्तर की लापरवाही जिम्मेदार थी जो कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन-124 A* के अपवादों से घटना को आच्छादित कर दें. जहाँ तक रेस्पांडेन्ट का यह तर्क कि घटना के लिए मृतक की घोर लापरवाही जिम्मेदार है क्योंकि वह कोच के खुले दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा कर रहा था तो इस सम्बन्ध में **माननीय सुप्रीमकोर्ट** ने ***Jameela & Ors vs Union Of India*** प्रकरण (CIVIL APPEAL NO. 1184 OF 2003) में दिनांक **27 अगस्त, 2010 को पारित न्यायसिद्धान्त** में यह भलीभांति प्रतिपादित कर दिया है कि *The manner in which the accident is sought to be reconstructed by the Railway, the deceased was standing at the open door of the train compartment from where he fell down, is called by the railway itself as negligence. Now negligence of this kind which is not very uncommon on Indian trains is not the same thing as a criminal act mentioned in clause (c) to the proviso to section 124 A. A criminal act envisaged under clause (c) must have an element of malicious intent or mens rea. Standing at the open doors of the compartment of a running train may be a negligent act, even a rash act but, without anything else, it is certainly not a criminal act. Thus, the case of the railway must fail even after assuming everything in its favour.* इसलिए माननीय सुप्रीमकोर्ट के उक्त उल्लेखित न्यायसिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए हम यही अवधारित करते हैं कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन-123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी. इसलिए इश्यूज क्रमांक-1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है.

__इश्यूज क्रमांक-3 :__

8. चूँकि घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन-124 A* के अपवादों में होने को पूर्णतः सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन-124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

__इश्यूज क्रमांक-4 एवं 5 :__

9. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है.

निरंतर.... ..5/प

Sd/-

अविवाहित मृतक पुत्र के माता–पिता के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र एवं आधारकार्ड, आवेदकों के आधारकार्ड, समग्र आयडी तथा संयुक्त बैंक पासबुक *(A-11, 17 to 21)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. साक्षी के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने पर आवेदक क्रमांक–1 ने कहा है कि मृतक उसका अविवाहित पुत्र था. इस प्रकार आवेदक–साक्षी की गवाही एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के माता–पिता होने के नाते सभी आवेदक *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B)(i)* के अधीन मृतक के आश्रित मान्य किये जाते हैं चूंकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

10. पत्रावलि के अवलोकन पर हमने यह पाया कि आधारकार्ड के हिसाब से मृतक मोहित का जन्म 2000 में हुआ है जब कि मृतक की माता अर्थात् आवेदक क्रमांक–2 का आधारकार्ड के हिसाब से जन्म 1987 का है. इस प्रकार माता और मृतक की उम्र में केवल 13 साल का अंतर परिलक्षित हो रहा है जो कि अस्वाभाविक है. ए–19 जो कि समग्र आयडी है में आवेदक क्रमांक–2 की उम्र एवं मोहित की उम्र में 21 साल का अन्तर दृष्टिगोचर हो रहा है. इस हेतु आवेदकों की ओर से स्पष्टीकरण हेतु अन्य दस्तावेज चाहे गये. आवेदक की ओर से क्रमांक–2 का वोटर आयडी कार्ड पेश किया गया. यह कार्ड 2022 में जारी किया गया है जिसमें आवेदक क्रमांक–2 की उम्र 43 अंकित है. इस हिसाब से वर्तमान में आवेदक क्रमांक–2 की उम्र 44 साल स्थापित होती है. अतः आवेदक क्रमांक–2 की उम्र वर्तमान में 44 साल मान्य की जाती है

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *29-10-2018* से वास्तविक भुगतान तिथि तक *(जिसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 31-10-2022 से लेकर दिनांक 12-01-2023 तक एवं बहस के समय अनुपस्थित रहने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 22-05-2023 से लेकर दिनांक 04-08-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा) 09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार है. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

12. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये

8,00,000/- को आश्रित के तौर पर आवेदक को निम्नानुसार भुगतान करेगा :-

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in Years (as per Aadhar Card)	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)
1)	श्री राजकुमार बिदौल्या	पिता	48	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	श्रीमती लक्ष्मीबाई बिदौल्या	माता	44	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-

13. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक 29-10-2018 से वास्तविक भुगतान तिथि तक (इसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 31-10-2022 से लेकर दिनांक 12-01-2023 तक एवं बहस के समय अनुपस्थित रहने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 22-05-2023 से लेकर दिनांक 04-08-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा) 09% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रित को करेगा.

14. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा :-

(1) उक्त तालिका के क्रमांक–1 अर्थात् मृतक के पिता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 40,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको संबंधित लाभार्थी तत्काल निकाल सकता है एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 3,60,000/- को 5,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 72 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

(2) उक्त तालिका के क्रमांक–2 अर्थात् मृतक की माता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 40,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसको संबंधित लाभार्थी तत्काल निकाल सकती है एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 3,60,000/- को 5,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 72 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

15. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 60 दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

16. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान

निरंतर..... 7/पर

करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक 12% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

17. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम / डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे.
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी.
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी.
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

18. आवेदक / लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक / लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम / डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत बैंक आवेदक / लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा

19. इन खातों से धन की निकासी केवल 'निकासी फार्म' के द्वारा ही की जाएगी

20. आवेदक / लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड / पैनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे

21. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक / लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

22. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पाडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

23. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No.* **10064520760** *IFSC Code :* **SBIN0005798** *(State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में **RTGS** के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

24. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए

25. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक / लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक / लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पैनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक / लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

26. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक / लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल / इंटरनेट बैंकिंग

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

क्रम.... 8/...

आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

27. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

28. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) यह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

29. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

30. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 3476/2677 of 2019* decided on 5th March, 2019 के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि0 जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

31. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

32. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

33. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

34. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd/- Sd/-

(राज कुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 16th October, 2023 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित [redacted] गया।

[redacted]

(राज कुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

16/10/23
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल